उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
Uttarakhand Open University

Ref. No. UOU/R/कार्य.परि./28/2020
Date 22/09/2020 5014

सेवा में,

1. प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट, भौतिक विज्ञान विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, एस0एस0जे0 कैम्पस, अल्मोड़ा।
2. प्रोफेसर एल0एन0 कोली, लेखा एवं विधि विभाग, वाणिज्य संकाय, दयालबाग शैक्षणिक संस्थान, दयालबाग, आगरा-282005, उत्तर प्रदेश।
3. श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, अध्यक्ष, हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री, नवाबी रोड़, हल्द्वानी (नैनीताल)।
4. श्री पवन अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक, नैनी ग्रुप, नैनी पेपर्स लि0 एवं नैनी टिश्यूज लि0, काशीपुर, उधमसिंहनगर।
5. डॉ0 कुमकुम रौतेला, निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड (प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून)
6. प्रोफेसर नागेश्वर राव, कुलपति, इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
7. प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, निदेशक, प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य, विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
8. प्रोफेसर गोविन्द सिंह, निदेशक, पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
9. प्रोफेसर दुर्गेश पंत, निदेशक,कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
10. डॉ0 वीरेन्द्र कुमार, सहायक प्राध्यापक, कृषि, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
11. प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ल, निदेशक, मानविकी विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
12. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, निदेशक, समाज विज्ञान विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
13. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, परीक्षा नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
14. श्रीमती आभा गर्खाल, वित्त अधिकारी, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।
15. श्री विमल कुमार मिश्र, उपकुलसचिव, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी (आमंत्रित सदस्य)।

महोदय/महोदया,

दिनांक **16 सितम्बर, 2020 (बुधवार)** को सम्पन्न उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की **कार्य परिषद की 28वीं बैठक** का कार्यवृत्त संलग्न कर प्रेषित है। कार्यवृत्त में यदि कोई संशोधन हो तो, कृपया अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि कार्यवृत्त की पुष्टि के समय प्रस्तावित संशोधन को संज्ञान में लेते हुए यथा आवश्यक परिवर्तन/संशोधन किया जा सके।

सादर,

भवदीय,
22/09/2020
(भरत सिंह)
कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को माननीय कुलाधिपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. कुलपति जी के वैयक्तिक सहायक को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

22/09/2020
(भरत सिंह)
कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद

Teenpani Bypass, Haldwani - 263139, Nainital, Uttarakhand तीनपानी बाईपास, हल्द्वानी - 263139, नैनीताल, उत्तराखण्ड
Tel.: 05946-286 000 • Toll Free No.: 1800 180 4025 • Fax: 05946-264 232 • E-mail: info@uou.ac.in • Website: www.uou.ac.in

दिनांक 16 सितम्बर, 2020 (बुधवार) को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में प्रातः 11.30 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न कार्य परिषद की 28वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया:-

1. प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी, — अध्यक्ष
   कुलपति,
   उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

2. प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट, — सदस्य
   भौतिक विज्ञान विभाग,
   कुमाऊँ विश्वविद्यालय, एस0एस0जे0 कैम्पस,
   अल्मोड़ा।

3. प्रोफेसर एल0एन0 कोली, — सदस्य
   लेखा एवं विधि विभाग,
   वाणिज्य संकाय, दयालबाग शैक्षणिक संस्थान, दयालबाग,
   आगरा-282005, उत्तर प्रदेश।

4. श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, — सदस्य
   अध्यक्ष,
   हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री,
   नवाबी रोड़, हल्द्वानी (नैनीताल)।

5. प्रोफेसर नागेश्वर राव, — सदस्य
   कुलपति,
   इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
   (वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

6. डॉ0 कुमकुम रौतेला, — सदस्य
   निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड
   (प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून)

7. प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, — सदस्य
   निदेशक, प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य विद्या शाखा
   उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

8. प्रोफेसर गोविन्द सिंह, — सदस्य
   निदेशक,
   पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन विद्याशाखा,
   उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

9. प्रोफेसर दुर्गेश पंत, — सदस्य
निदेशक,
कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा,
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।
(वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

10. डॉ0 वीरेन्द्र कुमार, — सदस्य
सहायक प्राध्यापक, कृषि, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

11. श्री भरत सिंह, — सदस्य सचिव
कुलसचिव, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

12. प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ल — आमंत्रित सदस्य
निदेशक,
मानविकी विद्याशाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

13. प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पाण्डे, — आमंत्रित सदस्य
निदेशक,
समाज विज्ञान विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

14. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, — आमंत्रित सदस्य
परीक्षा नियंत्रक, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

15. श्रीमती आभा गर्खाल, — आमंत्रित सदस्य
वित्त अधिकारी, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

16. श्री विमल कुमार मिश्र, — आमंत्रित सदस्य
उपकुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

सर्वप्रथम कुलसचिव /सदस्य सचिव, कार्य परिषद द्वारा कुलपति, अध्यक्ष, कार्य परिषद तथा सभी उपस्थित सदस्यों का कार्य परिषद की 28वीं बैठक में स्वागत किया गया। कुलसचिव ने विशेषरूप से परिषद की बैठक में प्रथम बार उपस्थित बाह्य सदस्यों- प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट, प्रोफेसर एल0एन0 कोली, श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, डॉ0 कुमकुम रौतेला, वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक में सम्मिलित प्रोफेसर नागेश्वर राव एवं अपरिहार्य कारण से बैठक में सम्मिलित न होने वाले सदस्य श्री पवन अग्रवाल का स्वागत करते हुए सभी का बैठक में प्रतिभाग करने के लिये आभार व्यक्त किया।

माह जून, **2020** में विश्वविद्यालय कार्य परिषद का पुनर्गठन होने के पश्चात् परिषद की यह प्रथम बैठक कोविड-19 वैश्विक महामारी के संबंध में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के परिपालन में सम्पन्न हुई। तद्क्रम में कुलपतिजी ने माननीय श्री राज्यपाल/ कुलाधिपतिजी द्वारा विश्वविद्यालय कार्य परिषद के नव नियुक्त 04 सदस्यगणों- प्रोफेसर पी0एस0 बिष्ट, भौतिक विज्ञान विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, एस0एस0जे0 कैम्पस, अल्मोड़ा, प्रोफेसर एल0एन0 कोली, लेखा एवं विधि विभाग, वाणिज्य संकाय, दयालबाग शैक्षणिक संस्थान, दयालबाग, आगरा, श्री रमेश चन्द्र बिन्जोला, अध्यक्ष, हिमालयन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री, नवाबी रोड़, हल्द्वानी (नैनीताल) एवं अपरिहार्य कारण से बैठक में सम्मिलित न होने वाले सदस्य श्री पवन अग्रवाल, वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक में सम्मिलित प्रोफसर नागेश्वर राव, कुलपति, इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली एवं प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा नामित सदस्य डॉ0 कुमकुम रौतेला, निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी का संक्षिप्त परिचय देते हुए स्वागत किया गया।

समस्त सदस्यों के स्वागतोपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत कार्यसूची में सम्मिलित प्रत्येक प्रस्ताव को कुलसचिव/सदस्य सचिव, कार्य परिषद द्वारा परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। कार्य परिषद द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव का अवलोकन कर विचारोपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्तावों पर निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया गया:-

प्रस्ताव संख्या 28.01- कार्य परिषद की 27वीं बैठक दिनांक 12.02.2020 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

कार्य परिषद की 27वीं बैठक दिनांक 12.02.2020 के कार्यवृत्त को सभी सदस्यगणों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया गया था कि यदि कोई संशोधन हो तो कृपया अवगत कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में परिषद के किसी भी सदस्य द्वारा कोई संशोधन प्राप्त न होने की जानकारी सदस्य सचिव द्वारा परिषद को दी गयी, जिस पर परिषद द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 28.02- कार्य परिषद की 27वीं बैठक दिनांक 12.02.2020 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

कार्य परिषद की 27वीं बैठक दिनांक 12.02.2020 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही पर प्रत्येक प्रस्ताव के संबंध में कुलसचिव द्वारा सभी सदस्यों को विस्तार से जानकारी दी गयी तथा यह भी अवगत कराया गया कि कृत कार्यवाही के प्रस्ताव संख्या-27.04 एवं 27.13 पर पुन: समीक्षा की जानी प्रस्तावित है, इन प्रस्तावों पर कार्य परिषद की 27वीं बैठक दिनांक 12.02.2020 में निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया था:-

"प्रस्ताव संख्या 27.04- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम, 2018) दिनांक 18 जुलाई, 2018 के अन्तर्गत शैक्षिक पदों हेतु साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों के चयन संबंधी मानदंड के विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर विचार विमर्श।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर कार्य परिषद द्वारा विस्तार से विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि- किसी भी विषय/श्रेणी में अधिक आवेदन-पत्र प्राप्त होने की दशा में आवश्यकता होने पर एक Screening Test आयोजित कराया जा सकता है। Screening Test के लिए 100 अंकों का एक

वस्तुनिष्ठ (objective) प्रश्न-पत्र होगा जिसमें 70 प्रश्न संबंधित विषय से एवं 30 प्रश्न समसामयिकी/शिक्षण योग्यता (Teaching Aptitude)/दूरस्थ शिक्षा (ODL)/ से संबंधित होंगे।"

उक्तानुसार प्रस्ताव से अवगत होते हुए कार्य परिषद द्वारा मत व्यक्त किया गया कि वर्तमान में सम्पूर्ण विश्व में कोविड-19 वैश्विक महामारी संक्रमित होने के कारण लिखित परीक्षा सम्पन्न कराया जाना संभव नहीं है। अतएव इस वर्ष सहायक प्राध्यापक के चयन हेतु लिखित परीक्षा आयोजित न की जाय। प्रस्ताव पर परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया कि अन्य विश्वविद्यालयों की भांति उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में भी लिखित परीक्षा के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम-2018 के तहत अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाय। प्रोफेसर नागेश्वर राव द्वारा सुझाव दिया गया कि उक्त प्रस्ताव से उत्तराखण्ड शासन व माननीय श्री राज्यपाल/कुलाधिपतिजी को भी अवगत कराया जाय। कार्य परिषद द्वारा प्रोफेसर राव के सुझाव पर सहमति व्यक्त की गयी।

"प्रस्ताव संख्या 27.13- शासन द्वारा विश्वविद्यालय हेतु सृजित एवं रिक्त शिक्षणेत्तर (समूह ग) पदों पर विश्वविद्यालय में पूर्व से कार्यरत कार्मिकों को सीमित विभागीय लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये जाने पर विचार।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद को विस्तृत जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में पूर्व से कतिपय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिक शासन द्वारा सृजित आउटसोर्स के पदों पर कार्यरत हैं जिनकी लगभग 10 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी है। दीर्घकालीन सेवा पूर्ण होने के उपरान्त भी तकनीकी कारणों से इन्हें नियमित नहीं किया जा सका है। शासन द्वारा विश्वविद्यालय हेतु सृजित शिक्षणेत्तर (समूह ग) पदों में से कुछ पद वर्तमान में रिक्त हैं जिन पर इन कार्मिकों को नियुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव कार्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी तदुपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया कि वर्तमान में कार्यरत उक्त कार्मिकों की नियुक्ति हेतु एक समिति का गठन कर कार्मिकों व विश्वविद्यालय हित में एक नियमावली बना ली जाय तथा संबंधित कार्मिकों की विश्वविद्यालय स्तर पर एक आन्तरिक परीक्षा जिसमें कौशल विकास (Skill Test) आदि सम्मिलित हो, के माध्यम से नियुक्त किया जा सकता है। नियमावली बनाने के लिए समिति के गठन हेतु कार्य परिषद द्वारा कुलपति को अधिकृत किया गया।"

उक्त प्रस्ताव पर कुलसचिव द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय हेतु शासन द्वारा सृजित आउटसोर्स के पदों पर पूर्व से बाह्य सेवा प्रदाता संस्था उपनल के माध्यम से नियोजित कार्मिकों के संबंध में कार्यवाही शासन स्तर पर लम्बित है। शासन से कोई दिशा-निर्देश प्राप्त न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है। कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से मत व्यक्त किया गया कि शासन को पुन: इस प्रकरण पर विचार हेतु प्रत्र प्रेषित किया जाय तदनुसार ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।

उक्त के अतिरिक्त शेष कार्यवाही विवरण से कार्य परिषद अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 28.03- विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-छः 'विश्वविद्यालय के अध्यापक' शीर्षक के अन्तर्गत परिनियम 25(13)'अ' 'चयन के लिए अंकों का निर्धारण' प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय से प्राप्त स्वीकृति की सूचना।

विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-छः 'विश्वविद्यालय के अध्यापक' शीर्षक के अन्तर्गत परिनियम 25(13)'अ' 'चयन के लिए अंकों का निर्धारण' प्रस्ताव पर श्री राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय से प्राप्त स्वीकृति के क्रम में विश्वविद्यालय परिनियमावली में यथास्थान उक्त परिनियम को प्रतिस्थापित कर लिया गया है, से कार्य परिषद अवगत हुई।

प्रस्ताव संख्या 28.04- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना संख्या-354, दिनांक 04 सितम्बर, 2020 को अंगीकृत किये जाने के संबंध में।

प्रस्ताव पर कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति) विनियम, 2017 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम) विनियम, 2018 के संबंध में यू0जी0सी0 द्वारा अधिसूचना संख्या-354, दिनांक 04 सितम्बर, 2020 को अधिसूचित किया गया है जिसे विश्वविद्यालय में भी अंगीकृत किया जाना है।

कार्य परिषद द्वारा उक्तानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-354 दिनांक 04 सितम्बर, 2020 को विश्वविद्यालय में यथावत अंगीकृत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 28.05- अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षाएं सम्पन्न कराये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं एम0एच0आर0डी0 के दिशा-निर्देशों को अंगीकृत किये जाने व अन्य शिक्षार्थियों की परीक्षा प्रणाली के संबंध में विचार।

प्रस्ताव से कुलसचिव द्वारा परिषद अवगत कराया गया कि वर्तमान में सम्पूर्ण देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी संक्रमित होने के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने D.O.No.F.1-1/2020(Secy), दिनांक 08 जुलाई, 2020 एवं एम0एच0आर0डी0 द्वारा Office Memorandum, दिनांक 06 जुलाई, 2020 के माध्यम से विश्वविद्यालयों हेतु अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षाएं दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक सम्पन्न कराये जाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

उक्तानुसार कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं एम0एच0आर0डी0 द्वारा अन्तिम वर्ष/सेमेस्टर की परीक्षाएं कराये जाने के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों को अंगीकृत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत प्रथम एवं द्वितीय वर्ष/सेमेस्टर के विद्यार्थियों को आगामी वर्ष/ सेमेस्टर में प्रोन्नत किये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय परीक्षा समिति को नियमावली निर्मित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 28.06- श्री अनिल कण्डारी, सहायक क्षेत्रीय निदेशक को पूर्व सेवाओं का लाभ देते हुए वेतन संरक्षण आदि पर विचार।

श्री अनिल कण्डारी द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में की गयी पूर्व सेवाओं की गणना उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में करने तथा पूर्व सेवाओं को जोड़ते हुए वेतन संरक्षण तथा अन्य सेवा लाभ प्रदान करने व अन्य संबंधित प्रकरण निस्तारित किये जाने हेतु एक समिति का गठन किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया जिसमें कुलसचिव, वित्त नियंत्रक एवं उच्च शिक्षा निदेशक के प्रतिनिधि के तौर पर एक सदस्य भी सम्मिलित हो। समिति के गठन हेतु कुलपतिजी को अधिकृत किया गया तथा समिति की संस्तुतियां विश्वविद्यालय वित्त समिति में प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त आगामी कार्य परिषद में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 28.07- सहायक क्षेत्रीय निदेशकों (08) के एक वर्ष की परिवीक्षावधि पूर्ण होने के फलस्वरूप परिवीक्षावधि समाप्त किये के संबंध में विचार।

प्रस्ताव पर कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय हेतु सृजित सहायक क्षेत्रीय निदेशक के 08 पदों हेतु सम्पन्न लिखित परीक्षा, कम्प्यूटर एवं आई0टी0 दक्षता तथा साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति की संस्तुतियों को विश्वविद्यालय कार्य परिषद की 25वीं बैठक दिनांक 02 सितम्बर, 2019 द्वारा अनुमोदित किया गया। तदक्रम में 08 सहायक क्षेत्रीय निदेशकों की विश्वविद्यालय में नियुक्ति की गयी थी जिनकी एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण हो गयी है।

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ की नियुक्ति एवं सेवा निबन्धन की शर्तें विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश के अध्याय-9 में वर्णित हैं जिसमें व्यवस्था की गयी है कि स्थायी पदों पर नियुक्ति एक वर्ष की परिवीक्षा पर होगी, कर्मचारी का कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर परिवीक्षावधि बढ़ायी जा सकेगी।

उक्त के क्रम में कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि परिवीक्षाधीन कार्मिकों की संबंधित विभागाध्यक्षों से ए0सी0आर0 (वार्षिक चरित्र प्रविष्टीयां) की गोपनीय आख्या प्राप्त हो गयी है, जिसमें इनकी सेवा पूर्णरूप से संतोषजनक होने के कारण परिवीक्षावधि को समाप्त किये जाने की संस्तुति की गयी है।

कार्य परिषद द्वारा उक्तानुसार प्रस्ताव से अवगत होते हुए 08 सहायक क्षेत्रीय निदेशकों की परिवीक्षाधीन अवधि इस प्रतिबंध के साथ समाप्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी कि संबंधित कार्मिकों का स्थायीकरण शासन द्वारा पदों के स्थायीकरण के अधीन ही होगा, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्रम संख्या	नाम	विश्वविद्यालय में योगदान की तिथि	एक वर्ष की परिवीक्षावधि पूर्ण होने की तिथि
1.	श्री बृजेश कुमार बनकोटी	03.09.2019	02.09.2020
2.	श्री अनिल कण्डारी	07.09.2019	06.09.2020
3.	श्री भास्कर सिंह जोशी	03.09.2019	02.09.2020
4.	श्रीमती रेखा बिष्ट	03.09.2019	02.09.2020
5.	श्रीमती प्रियंका लोहनी	03.09.2019	02.09.2020

6.	श्री पंकज कुमार	03.09.2019	02.09.2020
7.	श्री रूचि आर्या	03.09.2019	02.09.2020
8.	श्री गोविन्द सिंह	03.09.2019	02.09.2020

प्रस्ताव संख्या 28.08- परिवीक्षाधीन शिक्षणेत्तर कार्मिकों (07) के एक वर्ष की परिवीक्षावधि पूर्ण होने के फलस्वरूप परिवीक्षावधि समाप्त किये के संबंध में विचार।

कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय हेतु शासनादेश संख्या-53/XXIV(6)/2011, दिनांक 02 फरवरी, 2011 द्वारा संविदा अथवा प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने हेतु कुल 17 पद सृजित किये गये जिन पर विश्वविद्यालय प्रथम अध्यादेश में वर्णित चयन रीति के अनुरूप चयन प्रक्रिया पूर्ण कर 07 कार्मिकों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया।

शासनादेश संख्या-540/XXIV(6)/2019-01(08)/2012, दिनांक 07 अगस्त, 2019 द्वारा उक्त 17 पदों को पूरित किये जाने की प्रकृति संविदा अथवा प्रतिनियुक्ति के स्थान पर सीधी भर्ती/पदोन्नति (नियमित चयन) में परिवर्तित की गयी है। उक्त पदों में पूर्व से नियुक्त 07 संविदा कार्मिकों को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु विश्वविद्यालय कार्य परिषद की 25वीं बैठक दिनांक 02 सितम्बर, 2019 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। कार्य परिषद द्वारा उक्त 17 पदों में से 07 पदों पर पूर्व से नियुक्त संविदा कार्मिकों को 01वर्ष की परिवीक्षावधि के प्रतिबंध के साथ नियमित पदों पर प्रत्यावर्तित कर संबंधित कार्मिकों की नियमित नियुक्ति पर स्वीकृति प्रदान की गयी जिनकी एक वर्ष की परिवीक्षावधि पूर्ण हो गयी है।

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ की नियुक्ति एवं सेवा निबन्धन की शर्तें विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश के अध्याय-9 में वर्णित हैं जिसमें व्यवस्था की गयी है कि स्थायी पदों पर नियुक्ति एक वर्ष की परिवीक्षा पर होगी, कर्मचारी का कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर परिवीक्षावधि बढ़ायी जा सकेगी। परिवीक्षाधीन कार्मिकों की संबंधित विभागाध्यक्षों से ए0सी0आर0 (वार्षिक चरित्र प्रविष्टीयां) की गोपनीय आख्या प्राप्त हो गयी है, जिसमें इनकी सेवा संतोषजनक होने के कारण परिवीक्षावधि को समाप्त किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उक्तानुसार कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव से अवगत होते हुए निम्नांकित 07 कार्मिकों की परिवीक्षाधीन अवधि इस प्रतिबंध के साथ समाप्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी कि संबंधित कार्मिकों का स्थायीकरण शासन द्वारा पदों के स्थायीकरण के अधीन ही होगा:-

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	विश्वविद्यालय में योगदान की तिथि	एक वर्ष की परिवीक्षावधि पूर्ण होने की तिथि
1.	श्री जितेन्द्र कुमार द्विवेदी	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	03.09.2019	02.09.2020
2.	श्री राजेन्द्र नाथ गोस्वामी	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	03.09.2019	02.09.2020
3.	श्री राजेश आर्या	हार्डवेयर इंजीनियर	03.09.2019	02.09.2020

4.	श्री विनीत पौड़ियाल	हार्डवेयर इंजीनियर	03.09.2019	02.09.2020
5.	श्री मोहित रावत	नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर	03.09.2019	02.09.2020
6.	श्री परमेन्दर सिंह परिहार	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड-2	03.09.2019	02.09.2020
7.	श्री संजय भट्ट	आशुलिपिक ग्रेड-1	03.09.2019	02.09.2020

प्रस्ताव संख्या 28.09- प्रोफेसर गोविन्द सिंह, प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार के असाधारण अवकाश के उपरान्त विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण किये जाने के संबंध में सूचना तथा वेतन संरक्षण के संबंध में कुलपति जी द्वारा लिये गये निर्णय की स्वीकृति पर विचार।

प्रस्ताव पर कुलसचिव द्वारा परिषद को अवगत कराया गया कि प्रोफेसर गोविन्द सिंह, प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार का जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू में प्राध्यापक पद पर चयन होने के फलस्वरूप कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छ: परिनियम 32(5) में वर्णित असाधारण अवकाश की व्यवस्थानुसार दिनांक 09.12.2016 से दिनांक 26.06.2020 तक असाधारण अवकाश एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों का अन्यत्र चयन होने की दशा में उनके धारणाधिकार के संबंध में कार्य परिषद की 9वीं बैठक दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 के क्रम में धारणाधिकार कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में स्वीकृत किया गया।

प्रोफेसर गोविन्द सिंह द्वारा जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू से दिनांक 19.06.2020 (अपरान्ह) में कार्यमुक्त होने के उपरान्त उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में दिनांक 20.06.2020 (पूर्वान्ह) को प्राध्यापक, पत्रकारिता एवं जनसंचार पद पर पुन: कार्यभार ग्रहण किये जाने की सूचना से कार्य परिषद अवगत हुई।

प्रोफेसर सिंह द्वारा असाधारण अवकाश अवधि की वेतनवृद्धियां (वेतन संरक्षित) प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है जिस पर मा0 कुलपति जी द्वारा असाधारण अवकाश अवधि की गणना समय-मान में वेतनवृद्धि के लिए गणना किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कुलपति जी ने कार्य परिषद को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-छ: परिनियम 32(5) असाधारण छुट्टी के अन्तर्गत निम्न व्यवस्था प्रतिस्थापित की गयी है तद्क्रम में ही प्रोफेसर सिंह को उक्त लाभ दिये जाने की संस्तुति की गयी:-

"अध्यापक जो कोई स्थायी पद धारण करता हो या जो निम्न पद पर स्थायी होने के तीन वर्ष से अधिक अवधि से किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, राज्य सरकार की सहमति से, उच्च वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के लिए स्वीकृत की गयी असाधारण छुट्टी की अवधि की गणना समय-मान में अपनी वेतनवृद्धि के लिए गणना किये जाने का हकदार होगा।"

कार्य परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त वर्णित व्यवस्था के आलोक में प्रोफेसर गोविन्द सिंह को असाधारण अवकाश अवधि की वेतनवृद्धियां (वेतन संरक्षित) प्रदान किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रोफेसर गोविन्द सिंह बैठक से अनुपस्थित रहे।

प्रस्ताव संख्या 28.10- विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 18वीं बैठक दिनांक 30 मई, 2020 की संस्तुतियों का अनुमोदन।

विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 18वीं बैठक दिनांक 30 मई, 2020 की संस्तुतियों पर कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 28.11- विश्वविद्यालय में नियोजित अकादमिक, प्रशासनिक एवं तकनीकी परामर्शदाताओं के कार्यकाल विस्तारण एवं नवीन नियोजन के संबंध में सूचना।

विश्वविद्यालय में नियोजित अकादमिक, प्रशासनिक एवं तकनीकी परामर्शदाताओं के प्रत्येक छ: माह पर एक दिन के कार्य व्यवधान के उपरान्त पुन: छ: माह के कार्यकाल विस्तारण (दिनांक 02 जुलाई, 2020 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2020) तथा वीडियो एडिटर व कैमरामैन के नवीन नियोजन दिनांक 01.03.2020 से दिनांक 31.08.2020 तथा पुन: दिनांक 02.09.2020 से छ: माह की अवधि हेतु कार्य विस्तार के संबंध में सूचना से कार्य परिषद अवगत हुई तथा परिषद द्वारा सर्वसम्मति से संबंधित कार्य विस्तार प्रक्रिया पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या 28.12- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनु0-3 के शासनादेश-(1)/XXVVIII-3-2020-04/2008.T.C., दिनांक 04 मई, 2020, उत्तराखण्ड राज्य सरकार के समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को SGHS (State Government Health Scheme) के अन्तर्गत चिकित्सकीय उपचार संबंधी व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय कार्मिकों हेतु अंगीकृत किये जाने के संबंध में विचार।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनु0-3, देहरादून, दिनांक 04 मई, 2020 द्वारा आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान, उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को राज्य SGHS (State Government Health Scheme) के अन्तर्गत चिकित्सकीय उपचार को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधायें सुलभ कराये जाने संबंधी शासनादेश को विश्वविद्यालय कार्मिकों हेतु अंगीकृत किये जाने पर कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए योजना से संबंधित अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं को पूर्ण करवाये जाने के लिए प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, निदेशक, अकादमिक व स्वास्थ्य विज्ञान विद्याशाखा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।

प्रस्ताव संख्या 28.13- विश्वविद्यालय की निष्प्रयोज्य विद्युत एवं इलैक्ट्रानिक सामग्री को नष्ट (Dispose Off) किये जाने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित किये जाने के संबंध में विचार।

विश्वविद्यालय की निष्प्रयोज्य विद्युत एवं इलैक्ट्रानिक सामग्री को नष्ट (Dispose Off) किये जाने के लिए नियमानुसार प्रक्रिया अपनाने व समिति गठित किये जाने हेतु कार्य परिषद द्वारा कुलपतिजी को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 28.14- NKN Connectivity एवं Solar Roof Plant को विश्वविद्यालय में स्थापित किये जाने के संबंध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रोफेसर दुर्गेश पंत, निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा एवं नोडल अधिकारी **NKN Connectivity एवं Solar Roof Plant** द्वारा शासन स्तर पर इस संबंध में हो रही कार्यवाही से कार्य परिषद को विस्तृत जानकारी दी गयी। परिषद द्वारा तदक्रम में अवगत होते हुए NKN Connectivity एवं Solar Roof Plant को विश्वविद्यालय में स्थापित किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 28.15-विश्वविद्यालय के आई0सी0टी0 से संबंधित कार्यों के सुचारू संचालन हेतु आवश्यकतानुरूप अत्याधुनिक, उच्च क्षमता के Blade Server की अधिप्राप्ति की अनुमति के संबंध में।

प्रस्तुत प्रस्ताव का कार्य परिषद द्वारा अवलोकन किया गया तथा सम्यक विचारोपरान्त वर्तमान आवश्यकतानुरूप विश्वविद्यालय हेतु अत्याधुनिक, उच्च क्षमता का Blade Server उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली-2017 एवं G.F.R. 2017 में वर्णित प्राविधानों के तहत क्रय किये जाने पर सर्वसम्मति से सहमति देते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 28.16- वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-2019 में प्राप्त ऑडिट आपत्तियों से कार्य परिषद को अवगत कराना।

वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-2019 में प्राप्त ऑडिट आपत्तियों से कार्य परिषद अवगत हुई तथा परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि वित्त नियंत्रक स्तर पर यथासमय ऑडिट आपत्तियों का निराकरण सुनिश्चित कर लिया जाय।

उक्त के अतिरिक्त कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में राजकीय लेखा परीक्षकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 की सम्परीक्षा समाप्त की गयी है। वर्ष 2018-19 में मैमो नं० 05 सब मैमों नं0 01 में वाहनों के उपयोग जिसमें वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, पूर्व कुलसचिव एवं वर्तमान कुलसचिव के नाम वाहन उपयोग संबंधी कटौती का न किया जाना अनियमित एवं आपत्तिजनक है अंकित किया गया है। सरकारी वाहनों की अनुमन्यता एवं उनके रखरखाव आदि के संबंध में नीति निर्धारित उत्तर प्रदेश के शासनादेश दिनांक 19-03-97 एवं 29-05-99 में किया गया है तथा उक्त शासनादेशों को यथासीमा तक उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 84/XXVII(7)50(06), दिनांक 07 जून, 2017 द्वारा संशोधित किया गया है।

चूंकि विश्वविद्यालय के समस्त वाहन व सम्पत्तियां रजिस्ट्रार/ कुलसचिव के नाम से पंजीकृत होती है, विश्वविद्यालय में सरकारी आवास भी उपलब्ध नहीं है। वाहनों का प्रयोग व्यक्तिगत रूप में नहीं होता है तथा अधिकारियों को किसी प्रकार का वाहन/सवारी भत्ता भी नहीं दिया जाता है। कटौती की राशि एक निश्चित लेखा

शीर्षक के तहत कोषागार में जमा करने का उल्लेख किया गया है, जबकि विश्वविद्यालय अपने कार्मिकों को स्वयं वेतन प्रदान करता है। वाहन मद में राज्य सरकार द्वारा कोई भी धनराशि अनुमन्य नहीं की जाती है तथा वाहन विश्वविद्यालय के स्वयं के अर्जित कोष से कार्यालयी कार्यों हेतु क्रय किये जाते हैं एवं विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड है।

उक्त प्रस्ताव से अवगत होते हुए कार्य परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त दूरदृष्टि के तहत अधिकारियों के वाहन उपयोग हेतु की जानी वाली कटौती को अस्वीकार करते हुए लेखा परीक्षा ऑडिट, उत्तराखण्ड द्वारा दर्ज आपत्तियों के निस्तारण हेतु वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता में आन्तरिक सम्परीक्षा समिति का गठन (जिसमें कुलसचिव भी सम्मिलित हो) के निर्देश दिये गये साथ ही उक्त समिति की संस्तुतियों को लेखा परीक्षा ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किये पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव संख्या 28.17- अधिवक्ता श्री सी0एस0 रावत को अधिवक्ताओं के पैनल में सूचीबद्ध किये जाने संबंधी सूचना।

कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय प्रथम अध्यादेश के अध्याय-आठ में परामर्शदाताओं, जिन्हें विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक समझा जाय, माननीय कुलपति जी द्वारा नियोजित किये जाने का उल्लेख है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के विधिक कार्यों हेतु पूर्व से ही मात्र 01 अधिवक्ता श्री योगेश पाण्डे ही नामित हैं। विश्वविद्यालय के विरूद्ध योजित होने वाले वादों की समयबद्ध पैरवी हेतु अधिवक्ता श्री सी0एस0 रावत को भी विधिक विशेषज्ञों के पैनल में क्रमांक-2 में सूचीबद्ध किया गया है। इस हेतु पारिश्रमिक की दरें विश्वविद्यालय वित्त समिति में संस्तुत दरों के अनुरूप ही निर्धारित की गयी है। कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव से सहमत होते हुए सर्वम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रस्ताव संख्या 28.18- शोध अधिकारी तथा सहायक निदेशक कम्प्यूटर आई0टी0 के पदों हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम एवं चयन रीति में आंशिक संशोधन के संबंध में विचार।

शोध अधिकारी तथा सहायक निदेशक कम्प्यूटर आई0टी0 के पदों हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम एवं चयन रीति में आंशिक संशोधन के संबंध में कार्य परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में अनुमोदित प्रक्रिया पर निम्नानुसार संशोधन किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया:-

1. लिखित परीक्षा - 60 अंक
   साक्षात्कार - 20 अंक
   कौशल परीक्षण (Skill Test) - 20 अंक
   कुल 100 अंक
2. साक्षात्कार हेतु प्रवीणता सूची में आमंत्रित अभ्यर्थियों का अनुपात - 01:08
3. लिखित परीक्षा की समयावधि - 02 घंटा

उक्त के अतिरिक्त पूर्व में अनुमोदित अन्य प्रक्रिया यथावत् रहेंगी।

प्रस्ताव संख्या 28.19- विश्वविद्यालय में सृजित 'सिस्टम मैनेजर' पद की पाठ्यक्रम एवं चयन रीति निर्धारण के संबंध में विचार।

विश्वविद्यालय में सृजित 'सिस्टम मैनेजर' पद की पाठ्यक्रम एवं चयन रीति निर्धारण किये जाने हेतु कार्य परिषद द्वारा प्रोफेसर दुर्गेश पंत, निदेशक, कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अध्यक्षता में एक समिति के गठन पर अनुमोदन प्रदान करते हुए समिति की संस्तुतियां आगामी कार्य परिषद में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 28.20- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

प्रस्ताव संख्या 28.20.01- उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में संविदा पर कार्यरत डॉ0 दीपक पालीवाल, संयुक्त निदेशक (व्यवहार विज्ञान) की अकादमी में की जा रही सेवाओं को मूल विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की सेवाओं में गणना किये जाने के संबंध में।

सदस्य सचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि डॉ0 दीपक पालीवाल, सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र का डॉ0 आर0एस0 टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में संयुक्त निदेशक (व्यवहार विज्ञान) पद पर संविदा के आधार पर चयन होने के उपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय छः परिनियम 32(5) में वर्णित असाधारण अवकाश की व्यवस्थानुसार कार्य परिषद के अनुमोदनोपरान्त दिनांक 15 दिसम्बर, 2018 से असाधारण अवकाश पर हैं।

इस संबंध में अपर मुख्य सचिव के पत्रांक- **84/XXX(4)/2019-01(3)/2019,** दिनांक 08 मार्च, **2019** के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रेषित पत्र में उल्लेख किया गया था कि **"चूंकि डॉ0 दीपक पालीवाल उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी में सहायक प्राध्यापक के नियमित पद पर नियमित रूप से कार्यरत हैं तथा यह विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड सरकार का राज्य विश्वविद्यालय है। अतः डॉ0 दीपक पालीवाल की अकादमी में तैनाती की अवधि की सेवाओं को इनके मूल विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी में सहायक प्राध्यापक के पद पर आंगणित किया जायेगा तथा इन्हें समय-समय पर अनुमन्य होने वाले सेवाकालीन लाभ अनुमन्य होंगे।"**

उक्त प्रकरण को कार्य परिषद की 25वीं बैठक दिनांक 02 सितम्बर, 2019 में प्रस्तुत किया गया जिस पर कार्य परिषद द्वारा इस संबंध में विश्वविद्यालय परिनियमावली में स्पष्ट व्यवस्था न होने के कारण प्रकरण पर शासन से भी अनुमति प्राप्त किये जाने की अपेक्षा की गयी थी, जिसके क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा शासन को दिनांक 15.11.2019 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया था। इस संबंध में प्रभारी सचिव, उच्च शिक्षा के पत्र दिनांक 11 जुलाई, 2020 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम-2018 के नियम-10 के अंतर्गत एवं कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2019 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रकरण पर कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि शासन द्वारा अपने उक्त पत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के नियम 10 के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया गया है, किन्तु नियम 10 कैरियर अभिवर्धन योजना के अन्तर्गत सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु पिछली सेवाओं की गणना करने से संबंधित है, जबकि डॉ0 पालीवाल का प्रकरण असाधारण अवकाश अवधि में उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी में की गयी संविदा की सेवाओं की गणना इस विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर आंगणित किये जाने तथा इन्हें समय-समय पर अनुमन्य होने वाले सेवाकालीन लाभ अनुमन्य किये जाने से संबंधित है।

कार्य परिषद द्वारा उक्तानुसार अवगत होते हुए सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय परिनियमावली के अध्याय-छः परिनियम 32(5) के अन्तर्गत ही डॉ0 दीपक पालीवाल की सेवाओं को उच्च शिक्षा के पत्र दिनांक 11 जुलाई, 2020 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम-2018 के नियम-10 के अंतर्गत एवं कार्मिक विभाग के शासनादेश- **84/XXX(4)/2019-01(3)/2019,** दिनांक 08 मार्च, 2019 के क्रम में आंगणित किये जाने पर सहर्ष स्वीकृति व अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह व्यवस्था दी गयी कि भविष्य में इस प्रकार के सभी प्रकरणों पर समान व्यवस्था लागू की जाय।

प्रस्ताव संख्या 28.20.02- विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी ज्ञान को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान भारत सरकार (CSIR) द्वारा परिचालित KAMP (Knowledge and Awareness Mapping Platform) कार्यक्रम को विश्वविद्यालय में क्रियान्वित करने पर विचार-विमर्श।

कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान भारत सरकार (CSIR) द्वारा परिचालित KAMP (Knowledge and Awareness Mapping Platform) कार्यक्रम के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं मानविकी विषयों में अध्ययन करने वाले प्रतिभाशाली और गुणवान विद्यार्थियों का नामांकन किये जाने के लिए संबंधित संस्था द्वारा इस हेतु उक्त कार्यक्रम को विश्वविद्यालय में क्रियान्वित किये जाने का अनुरोध किया गया है। KAMP का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रकृति को पहचानना एवं उसे प्रोत्साहित करना है, जिससे भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा मानविकी क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व कर सके।

इस संबंध में KAMP के प्रतिनिधि श्री आशीष मित्तल द्वारा उक्त योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए कार्य परिषद के सम्मुख Power Point Presentation के माध्यम से प्रस्तुतीकरण दिया गया। कार्य परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मत व्यक्त किया गया कि इस योजना को विश्वविद्यालय में लागू करने से पूर्व एक समिति के माध्यम से भली-भांति इसका परीक्षण कर लिया जाय तथा इस संबंध में प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, निदेशक, अकादमिक की अध्यक्षता में समिति के गठन किये जाने हेतु कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

बैठक के अन्त में कुलपति जी द्वारा कार्य परिषद को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय स्थापना से कार्यरत 03 कार्मिकों द्वारा विश्वविद्यालय में नियमित नियुक्ति किये जाने के संबंध में एक प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इस

संबंध में कार्य परिषद को विस्तृत जानकारी देते हुए अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय स्थापना से कार्यरत कतिपय कार्मिक पूर्व में विनियमितीकरण नियमावली 2013 के अनुसार विनियमित किये जा चुके हैं जिनमें से तकनीकी कारणों से 03 कार्मिकों पर यह प्रक्रिया नहीं अपनायी जा सकी। यह प्रस्ताव पूर्व में कार्य परिषद की 25वीं बैठक दिनांक 02.09.2020 में प्रस्तुत किया गया था जिस पर कार्य परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के अधिवक्ता द्वारा दी गयी विधिक राय के आधार पर विनियमितीकरण नियमावली 2013 के अनुसार इन्हें विनियमित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। विनियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व विनियमितीकरण नियमावली 2013 पर मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रोक लगाये जाने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी, जो अद्यतन लम्बित है।

इस पर कार्य परिषद द्वारा मत व्यक्त किया गया कि इन कार्मिकों के लिए विश्वविद्यालय हित में विनियमितीकरण नियमावली 2013 के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में विश्वविद्यालय स्तर से पहल करते हुए एक अपील दायर कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही नियुक्ति की कार्यवाही की जा सकती है।

कार्यसूची में सूचीबद्ध समस्त प्रस्तावों पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन के उपरान्त कार्य परिषद के सदस्य सचिव/ कुलसचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों विशेषकर बाह्य सदस्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सभी सदस्यों का आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अन्त में कार्य परिषद के समस्त माननीय सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर, बैठक सम्पन्न हुई।

22/09/2020

कुलसचिव/ सदस्य सचिव, कार्य परिषद

कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

Approved as above

22/9/2020

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी-263139 (नैनीताल)